भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 5140
सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों के लिये रोजगार के अवसर

5140. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल रोजगार केंद्र और पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना के प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन और बाजार में उनके व्यवसाय के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को शामिल किया गया है; और
(घ) इन योजनाओं को लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक रोजगार के अवसर पैदार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), कौशल भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत देश भर में युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ये सभी योजनाएं मांग आधारित हैं। उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए, उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर नए पाठ्यक्रमों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक, 1.37 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया था और 24.36 लाख उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत नियोजित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) के तहत, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार के लिए वित्तीय सहायता, उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करना, उन्नत कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच, आधुनिक डिजिटल तकनीकों और कुशल हरित प्रौद्योगिकीयों का ज्ञान, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित देशभर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****